राजस्थान—सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

"कर—भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ—7(39)जन / 2014 / पार्ट 5921 - 6550 दिनांक: 25/7/14

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
   जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक)
   (समस्त)
3. उप पंजीयक (पूर्णकालिक एवं पदेन)
   समस्त, राजस्थान

विषय : पंजीयन शुल्क की राशि नकद रूप में जमा कराने के प्रावधानों को समाप्त करने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ.7(39) जन/ 2013/ पार्ट—I/ 3388—3928 दिनांक 14.07.2014

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या—2 में पंजीयन शुल्क की राशि जमा करने के संबंध में दिये गये निर्देशों को अपास्त करते हुए नवीन निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :—

पंजीयन शुल्क :—

इसी प्रकार राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 खण्ड—प्रथम के नियम 74 में संशोधन कर पंजीयन शुल्क की राशि अधिसूचित बैंक के पे—ऑर्डर, डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई—ग्रास चालान के माध्यम से ही जमा करने का प्रावधान किया गया है।

इन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिये जाते है समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालिक एवं पदेन) कार्यालयों में पंजीयन शुल्क की राशि अधिसूचित बैंक के पे—ऑर्डर, डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई—ग्रास चालान के माध्यम से ही जमा की जाये। यदि किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में राशि बैंक में जमा करवाकर आने पर, जमा उपरान्त और राशि देय पाई जाती है तो वह राशि नगद जमा कर ली जाये। साथ ही आमजन को अधिकाधिक ई—ग्रास व डी.डी. की सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाये तथा अग्रिम व्यवस्था होने तक विशिष्ट असुविधा वाले मामलों में राशि नगद जमा कर ली जाये।

जिन स्थानों पर उपरोक्त माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, वहां पंजीयन शुल्क की सम्पूर्ण राशि नकद रूप में जमा कराई जा सकती है।

उपरोक्त प्रावधानों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in से भी की जा सकती है विभागीय वेबसाईट पर ई—ग्रास से भुगतान की विधि भी सूचित की गई है।

भवदीय,

25/7/15

(एल.एन. सोनी)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर